न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :— 165/2025

उनवान

1.मंजू देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद,जाति माली निवासी अगरसर तहसील —शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

2.शारदा देवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी कलवानियों का बास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

— प्रार्थीयागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार(भूधारक) जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2. रामवतार पुत्र गोविन्दराम
3. सुमित्रा देवी पत्नी गोविन्दराम

जाति कुमावत निवासी अमरसर,तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

4.सुरेश पुत्र गणपत

5.हरसहाय पुत्र नानगराम

6.ग्यारसी देवी पत्नी सुरेश

7.योगेश कुलदीप पुत्र सुरेश कुमार

8.पीयूष कुलदीप पुत्र सुरेश कुमार

जाति रैगर निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

9.रामगोपाल पुत्र नानगराम

समस्त जाति बलाई निवासी अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना—पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 27/5/26

उपस्थितः— प्रार्थीया अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद यादव

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि हाल आराजी के हाल खसरा नं0—893/2119, रकबा 1.6500 हैक्टर कुल किता—1 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम पठानो का बास पटवार हल्का अमरसर भू0 अभि0 क्षेत्र अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित हैं।प्रार्थीया उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग—उपभोग में लेते आ रहा हैं। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 9 की भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि से लगती हुई होने के कारण सींव डौल का विवाद करते रहते हैं इस कारण प्रार्थीया ने अपनी भूमि का दिनांक 23.06.25 को उपतहसीलदार अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/भू.अ./2025/959 दिनांक 20.06.2025 के द्वारा प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का अमरसर भू0अ0 निरीक्षक अमरसर व मौके पर उपस्थित खातेदारों की मौजूदगी में किया गया जिसमें

प्रार्थीया अपनी भूमि की सीमा तक हाल आबाद काबिज काश्त हैं । उक्त सीमाज्ञान कराने के बाद प्रार्थीया उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की स्थायी सीमा चिन्ह(पत्थरगढी)करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं ।प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी के पास स्थित भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 10 द्वारा प्रार्थीया की उक्त भूमि की सीमाओ पर सींव,डोल आदि का विवाद करते रहते हैं एवं भूमि की सीमाओं को काटने पर आमादा रहते हैं ।इस कारण प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहती हैं ।

प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली जाकर तथा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 9 को नोटिस जारी किया गया नोटिस तामील होने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 9 अनु0 ना ही कोई जवाब पेश किया हैं जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया अंतिम अवसर देने के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 9 अनु0 ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।

वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थगढी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया वकील प्रार्थीया को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं। तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय है।जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं।मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी के खसरा नं0– नं0–893/2119, रकबा 1.6500 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम पठानो का बास ,पटवार हल्का अमरसर भू0 अभि0 क्षेत्र अमरसर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2025 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/5/26 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)